FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the Tonk-Sawai Madhopur (12) Parliamentary constituency in Rajasthan (State/Union territory).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sh. Sukhbir Singh Jaunapuria (Name)

H.N. 275, Ward No. 2, Sohna, Dist. Gurgaon (Haryana) (Address) sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Tonk

Date: 23-05-2019

(R.C. Dhenwal)

Returning Officer

12-Tonk-Sawai Madhopur Parliamentary Constituency (District Collector and District Magistrate, Tonk)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। राजस्थान (राज्य / संघराज्यक्षेत्र) के टोंक—सवाईमाधोपुर (12) संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरीया (नाम)

म.न. **275, वार्ड न. 2, सोहना जिला—गुडगाँव (हरियाणा)** (पता) जो **भारतीय जनता पार्टी** (मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : टोंक

तारीख: 23.05.2019

(आर. सी. ढेनवाल) रिटर्निंग ऑफिसर 12—टोंक—सवाईमाधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक)